

Robbery in General Ganj Branch of U.C.O. Bank, Kanpur

1800. SHRIMATI MOHSINA KIDWAI;

SHRI D. AMAT:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether a broad-day robbery took place in the General Ganj Branch of the United Commercial Bank at Kanpur involving a theft of 2,60,000 rupees;

(b) whether a number of bank employees were killed in the bank raid and if so, how many;

(c) whether any arrests have been made in this connection and investigation set in motion; and

(d) steps taken in the matter?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) There was a robbery at the General Ganj Kanpur Branch of the United Commercial Bank on 29th May, 1978, and a sum of Rs. 2,61,000/- was taken away by an armed gang.

(b) No one was killed.

(c) and (d). The bank reported the matter to the local police immediately who are reported to have arrested 12 persons including the gang leader and recovered a sum of Rs. 1,89,000/- besides the vehicle used by the culprits.

मंत्रियों की राजकीय विदेश यात्रा

1801. श्री अनन्तराम जायसवाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 मई, 1978 से 30 जून, 1978 के बीच केन्द्रीय सरकार के किन-कुन मंत्रियों ने अलग-अलग किस-किस

प्रधान से कब से कब तक और किन-किन देशों की राजकीय यात्रा की ;

(ख) उपयुक्त अवधि में राजकीय विदेश यात्रा पर जाने वाले किन-किन मंत्रियों के साथ उनके परिवार के सदस्यों अथवा संबंधियों ने भी विदेश यात्रा की ;

(ग) मंत्री के साथ राजकीय विदेश यात्रा पर जो संबंधी गये, क्या उनकी यात्रा का कोई राजकीय प्रयोजन था; और

(घ) ऐसे संबंधियों की विदेश यात्रा पर किन-की विदेशी मुद्रा (रुपयों में) खर्च हुई ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) :

(क) से (घ). 15 मई, 1978 से 30 जून, 1978 तक की अवधि के दौरान की गई राजकीय विदेश यात्रा केवल प्रधान मंत्री की ही थी और वह 5 जून, 1978 से 15 जून, 1978 तक बेल्जियम, युनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमरीका के लिए थी। प्रधान मंत्री ने इन देशों की यात्रा उन देशों की सरकारों के प्रधानों के निमंत्रण पर की थी। प्रधान मंत्री के साथ उनकी पुत्र-वधु प्रधान मंत्री की सरकारी परिचारिका के रूप में गई और उनके पुत्र भी उनकी निजी आवासकालाओं में उनकी सहायता करने के लिए उनके साथ गये। प्रधान मंत्री के पुत्र और उनकी पुत्र-वधु ने अपनी यात्रा का प्रबंध स्वयं अपने आप किया और सरकार ने इस संबंध में कोई खर्च नहीं किया। प्रधान मंत्री की सरकारी परिचारिका प्रधान मंत्री के सरकारी दौरो के लिए मंजूर किए गए सत्कार अनुदानों में से, सत्कार के संबंध में व्यय करने की हकदार थी और प्रधान मंत्री की सरकारी परिचारिका के रूप में वह उसी आवास नकद भत्ते के लिए हकदार थी जिसके लिए मिशन का कोई